

3-6-2016

राजस्व लोक अदालत नाम आपके इलाके
के तहत उभय पक्षों को सुनवाई हेतु
नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली
अज राजस्व लोक अदालत दिल्ली सिविल
कोर्ट गुरुगढ़ी परामर्श पर सेवा दुषी।
नोटिस बाद जारी अदालत पत्रावली
द्वारा जारी एवं सुनिवासी को उत्तर
बत कराने प्रवाज लगाई गई।
वादी व सुनिवासी अदालत सुनना के
उपस्थित नहीं हैं अतः बाद जारी
अदालत जारी व अदालत जारी
अदालत जारी जाता है पत्रावली
को अदालत हेतु उत्तर हेतु
तथा दफ्तर दाखिल हो

र